न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 131/2026

लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी अब्दुल मुगनी, पंजीकृत कार्यालय 2—डीएफएल, गोपीनाथ मार्ग, एम0आई0 रोड, जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रंजन भगत पुत्र श्री रामवतार, निवासी जागुका वाली ढाणी, वार्ड नं0 26, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान—333042
2. श्री रिषिकेश पुत्र श्री रामवतार, निवासी जागुका वाली ढाणी, वार्ड नं0 26, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान—333042 अन्य पता नया खाता नं0 272, खसरा नं0 650, 651, 652, 653, पटवार हल्का नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान—333042
3. श्रीमती मंजू पत्नि श्री रंजन भगत, निवासी जागुका वाली ढाणी, वार्ड नं0 26, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान—333042
4. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री सत्य नारायण सैनी, निवासी वार्ड नं0 8, अजीतगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान—333042

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—

एडवोकट श्री विजय सिंळ चौधरी— प्रार्थी कम्पनी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.04.2026

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋणी एवं सहऋणी ने अचल सम्पत्ति नया खाता नं0 272, खसरा नं0 650, 651, 652, 653, पटवार हल्का नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान— 333042 मे स्थित प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 405.55 वर्गगज है को बंधक रखकर ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये ऋण खाता संख्या PL16352 के तहत दिनांक 03.04.2023 को 14,00,000/— रूपये की वित्तीय सुविधा स्वीकृत कर ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया था। प्रार्थी वित्तीय संस्था को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने ऋण उपलब्ध करवाते समय ऋण से संबंधित सभी दस्तावेज निष्पादित कर प्रार्थी संस्थान को प्रदान किये जो कि इण्डेक्स के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने सहऋणी अप्रार्थी सं0 2 के मालिकाना हक की सम्पत्ति नया खाता नं0 272, खसरा नं0 650, 651, 652, 653, पटवार हल्का नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान— 333042 मे स्थित प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 405.55 वर्गगज है को ऋण के बदले रहन (साम्य बंधक) के तहत उक्त सम्पत्ति के मूल स्वामित्व संबंधी दस्तावेजात् प्राप्त कर लिये थे। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को उपलब्ध करवाई गई ऋण राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अनुबंध की शर्तो के अनुसार नियमित मासिक किश्तों मे नही किया अर्थात नियमित मासिक किश्तों के भुगतान मे व्यतिक्रम किया इस कारण ऋणी का ऋण दिनांक 30.01.2025 को अकियन्वित आस्ति की क्षेणी मे वगीकृत हो गया। ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.01.2025 को अकियान्वित आस्ति की श्रेणी मे वगीकृत होने के कारण प्रतिभूतकरण

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को दिनांक 08.09.025 को रजिस्टर्ड नोटिस वास्ते जमा करवाये जाने बकाया ऋण राशि 20,15,542/– रूपये (अक्षरे बीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बियालीस रूपये) दिनांक 01.09.2025 तक एवं इसके पश्चात् की ब्याज की राशि एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त के सहित प्रार्थी वित्तीय संस्था को 60 दिवस की समयावधि मे भुगतान किये जाने हेतु प्रेषित किये गये थे तथा उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस के अनुशरण मे तय समयावधि मे वर्णित ऋण राशि का भुगतान नही किया। इस प्रकार से प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत विनिर्दिष्ट अवधि मे अप्रार्थीगण अपने दायित्व को पूर्ण करने मे असफल हो गये है। इसलिए प्रतिभूति लेनदार अपने अपने अपने प्रतिभूति ऋण की वसूली के लिए पट्टें समनुदेशन या विक्रय के जरिये अन्तरण के अधिकार को सम्मिलित करते हुए ऋणी की प्रतिभूति आस्तियों को कब्जे मे लेना के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार के तहत उक्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध ऋण पेटे राशि 20,15,542/– रुपये. (अक्षरे बीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बयालीस रुपये) दिनांक 01.09. 2025 तक बकाया थी तथा नोटिस दिये जाने के पश्चात भी उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण पेटे निम्न बंधक को कब्जे में लेने के प्रयोजन हेतु प्रार्थी ऋणी दात्री वित्तीय संस्था ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

रिषिकेश पुत्र श्री रामावतार मालिक सम्पत्ति नया खाता नं. 272, खसरा न. 650, 651, 652, 653 पटवार हल्का नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333042 में स्थित प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 405.55 वर्गगज है जिसमें भूमि भवन, एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, चतु सीमाः–

उत्तर में :– सत्यनारायण सैनी एवं रास्ता
दक्षिण में :– नवरंगलाल पुत्र गणपत लाल
पूर्व में :– रास्ता एवं नवरंग लाल पुत्र कजोड़ मल
पश्चिम :– रामेश्वर लाल सैनी

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निम्न अनुतोष प्रदान किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण पेटे बंधकित संपत्ति नया खाता नं. 272 खसरा नं. 650, 651, 652, 653 पटवार हल्का नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333042 में स्थित प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 405.55 वर्गगज है, का कब्जा (आधिपत्य) प्राप्त कर सुपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अनुतोष की मद संख्या 1 में वर्णित कार्यवाही की अनुपालना हेतु संबंधित पुलिस थाने के थानाधिकारी को निर्देशित किये जाने के आदेश प्रदान करे कि ''वक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति'' पुलिस बल बंधक संपत्ति को कब्जे में लेने में सहयोग प्रदान करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति रिषिकेश पुत्र श्री रामावतार मालिक सम्पत्ति नया खाता नं. 272, खसरा न. 650, 651, 652, 653 पटवार हल्का नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333042 में स्थित प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 405.55 वर्गगज है जिसमें भूमि भवन, एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं